प्रेस नोट
दिनांक – 26.03.2026
जनपद – गोण्डा

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा शहर क्षेत्र के पेट्रोल/डीजल पंपों का निरीक्षण, अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील-पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है पेट्रोल-डीजल-

जनपद में पेट्रोल एवं डीजल की उपलब्धता को लेकर फैल रही भ्रामक सूचनाओं/अफवाहों के दृष्टिगत आज पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा शहर क्षेत्र के विभिन्न पेट्रोल/डीजल पंपों का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पंप संचालकों से वार्ता कर स्टॉक की स्थिति, आपूर्ति व्यवस्था एवं वितरण की प्रक्रिया की जानकारी ली गई।

पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा स्पष्ट रूप से बताया गया कि जनपद में पेट्रोल एवं डीजल की कोई कमी नहीं है तथा पर्याप्त मात्रा में ईंधन उपलब्ध है। आमजन को किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील करते हुए कहा गया कि शांति एवं संयम बनाए रखें। सभी नागरिकों को उनकी आवश्यकता के अनुसार पेट्रोल/डीजल उपलब्ध कराया जाएगा, अनावश्यक भीड़ न लगाएं और व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें।

निरीक्षण के दौरान संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि पेट्रोल पंपों पर सुचारु आपूर्ति सुनिश्चित की जाए तथा किसी भी प्रकार की कालाबाजारी, जमाखोरी या अव्यवस्था पाए जाने पर कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। साथ ही, पुलिस बल को भी सतर्क रहते हुए पेट्रोल पंपों के आसपास सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था बनाए रखने हेतु निर्देश दिए गए।

जनपद गोण्डा पुलिस द्वारा आमजन से पुनः अपील की जाती है कि सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से प्रसारित भ्रामक सूचनाओं पर विश्वास न करें तथा किसी भी प्रकार की संदिग्ध सूचना की पुष्टि संबंधित अधिकारियों से अवश्य करें। प्रशासन पूरी तरह सजग है एवं जनसामान्य को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होने दी जाएगी।

इस दौरान क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय, प्रभारी निरीक्षक को0 नगर एवं अन्य पुलिस बल मौजूद रहा ।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 26.03.2026

थाना को0 देहात पुलिस द्वारा 01 वाहन चोर को किया गया गिरफ्तार, 02 अदद चोरी की मोटरसाइकिल बरामद-

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में थाना देहात पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 202/2026 व मु0अ0सं0 166/26 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस से संबंधित 01 शातिर वाहन चोर - अभिषेक तिवारी पुत्र ननकन तिवारी निवासी ग्राम दलपतपुर थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर उसके कब्जे व निशानदेही पर 02 अदद चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 16.03.2026 को संदीप मिश्रा पुत्र श्याम मनोहर मिश्रा निवासी गंगापुर थाना को0 देहात जनपद गोण्डा द्वारा थाना को0 देहात पर सूचना दी गई कि दिनांक 28.2.2026 को रात्रि में पास के गांव बहलोलपुर में एक निमन्त्रण में गये थे, जहां प्रार्थी रिस्तेदार की बाइक स्पलेन्डर प्लस UP43AZ3470 ब्लैक कलर को लेकर गया था है। वहां से किसी ने बाइक चोरी कर ली थी। जिसे काफी खोजबीन किया लेकिन कोई पता नहीं चला। तथा दिनांक 25.03.2026 को वादी राम जस पुत्र जगराम निवासी इटई अब्दुल्ला थाना शाहदुल्ला नगर जनपद बलरामपुर द्वारा सूचना दी गई कि दिनांक 22.03.26 को वह गोण्डा से दवा लेने गये थे वापस आते समय रास्ते में एक दुकान पर कुछ सामान लेने लगा जहाँ से उनकी मोटरसाइकिल UP-42-AM-2494 को किसी अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर ली गई है। प्राप्त लिखित तहरीरों के आधार पर थाना को0 देहात पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किये गये। दिनांक 25.03.2026 को थाना को0 देहात पुलिस टीम खोरहंसा बाजार में देखभाल क्षेत्र में रवाना थी कि इसी दौरान सूचना पर पाण्डेयपुर चौराहा से जमदरा जाने वाली रोड पर वाहन चोर अभिषेक तिवारी पुत्र ननकन तिवारी निवासी ग्राम दलपतपुर थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर उसके कब्जे व निशानदेही पर 02 अदद चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई। बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय गोण्डा रवाना किया गया।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त द्वारा पुलिस पूछताछ के दौरान बताया गया कि जिस गाड़ी पर वह बैठा था वह चोरी की है। जिसे करीब 3- 4 दिन पूर्व जमुनिया बाग चौराहा के पास चोरी किया था तथा इस मोटर साइकिल को बेचने के फिराक में था। अभियुक्त द्वारा बताया गया कि वह पूर्व में भी वाहन चोरी में जेल जा चुका है अभी कुछ माह पूर्व ही जिला कारागार गोण्डा से रिहा हुआ है। उक्त गाड़ी सुपर स्प्लेण्डर (रंग काला) का नम्बर UP42AM2494 अंकित है जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 202/2026 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत है। अभियुक्त के पास से कुल 3700/-रु0 बरामद हुए। जिसके बारे में बताया कि कुछ दिन पूर्व बहलोलपुर से काले रंग की हीरो स्पेलेण्डर मोटर साइकिल UP 43AZ 3470 चोरी की थी, जिसे नेपाल ले जाकर 8000/-रु0 में बेच दिया था उसी का बचा हुआ रुपया है। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय मु0अ0सं0 166/2026 धारा 303(2)

बीएनएस पंजीकृत है। और पूछताछ करने पर बताया कि जेल से छूटने के बाद जिला अस्पताल गोण्डा से एक मोटर साइकिल HR07N4470 चोरी की थी जिसे बेचने के लिये यही सड़क के पास ही झाड़ियो में छुपा कर रखा है। उसके निशादेही पर सड़क से करीब 50- 60 मीटर पीछे झाड़ियों में एक मोटर साइकिल छिपा कर रखी हुई बरामद की गयी जिस पर HR07N4470 नम्बर अंकित है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. अभिषेक तिवारी उम्र 20 वर्ष पुत्र ननकन तिवारी निवासी ग्राम दलपतपुर थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा।

अनावरित अभियोग-

01. मु0अ0सं0 202/2026 धारा 303(2), 317(2), BNS थाना को0 देहात जनपद गोण्डा

02. मु0अ0सं0 166/26 धारा 303(2), 317(2), BNS थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 01 अदद चोरी की मोटर साइकिल UP-42-AM-2494

02. 01 अदद चोरी की मोटर साइकिल HR-07-N-4470

03. 3700/- रु0 नकद चोरी की मोटरसाइकिल बेचकर प्राप्त

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 पवन मिश्रा मय हमराह

02. हे0का0 कमलेश यादव

03. हे0का0 इन्द्रेश कुमार

04. का0 अजय प्रताप सिंह

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 26.03.2026

थाना तरबगंज पुलिस द्वारा 04 हत्याभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा पश्चिमी राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबंज श्री उमेश्वर प्रभात सिंह के नेतृत्व में थाना तरबगंज पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 - 103/2026 धारा 103(1), 238 बी0एन0एस0 से सम्बन्धित 04 आरोपी हत्याभियुक्तों - 1. रामशंकर चौहान पुत्र राम प्रसाद चौहान 2. नानबाबू चौहान पुत्र जगराम चौहान 3.दिनेश चौहान पुत्र राम बदल चौहान 4. रमन उर्फ अंगद चौहान पुत्र स्व० राम अचल चौहान उम्र करीब 18 वर्ष निवासीगण ग्राम गजाधर पुरवा थाना कोतवाली देहात जनपद गोण्डा को जगदम्बा डिग्री कालेज लोनियन पुरवा सिंहपुर के बेलसर गोण्डा रोड से थाना क्षेत्र तरबगंज से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी रोज अली पुत्र ओली मोहम्मद ग्राम बनियन पुरवा मौजा विशुनपुर थाना तरबगंज जिला गोण्डा द्वारा थाना तरबगंज में लिखित तहरीर दी गयी कि उनका लड़का साहिल उम्र 18 वर्ष दिनांक 24.03.26 को घर पर बता कर गया कि उसके दोस्त रामशंकर चौहान पुत्र राम प्रसाद चौहान, नानबाबू चौहान, दिनेश चौहान, रमन उर्फ अंगद चौहान निवासीगण ग्राम गजाधरपुरवा थाना को0 देहात जनपद गोण्डा उसे जन्मदिन की पार्टी के लिए पुपरी रोहुला बुला रहे हैं। और दिनांक 25.03.2026 को गाँव वालों ने बताया कि साहिल की लाश पिपरी रोहुआ ताल में पड़ी है तथा कुछ दूरी पर उसकी मोटर साइकिल पड़ी है, पिपरी रोहुआ ताल पहुंचकर देखा तो उनके लड़के की लाश पड़ी है। वादी द्वारा बताया गया कि उसके दोस्तों ने ही साहिल को मारा है । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना तरबगंज में नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 26.03.2026 को थाना तरबगंज पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोपी अभियुक्तगण 1. रामशंकर चौहान पुत्र राम प्रसाद चौहान 2. नानबाबू चौहान पुत्र जगराम चौहान 3.दिनेश चौहान पुत्र राम बदल चौहान 4. रमन उर्फ अंगद चौहान पुत्र स्व० राम अचल चौहान उम्र करीब 18 वर्ष निवासीगण ग्राम गजाधर पुरवा थाना कोतवाली देहात जनपद गोण्डा को जगदम्बा डिग्री कालेज लोनियन पुरवा सिंहपुर के बेलसर गोण्डा रोड से थाना क्षेत्र तरबगंज से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना तरबगंज पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. रामशंकर चौहान पुत्र राम प्रसाद चौहान उम्र 26 वर्ष

02. नानबाबू चौहान पुत्र जगराम चौहान उम्र करीब 18 वर्ष

03. दिनेश चौहान पुत्र राम बदल चौहान उम्र करीब 18 वर्ष

04. रमन उर्फ अंगद चौहान पुत्र स्व० राम अचल चौहान उम्र करीब 18 वर्ष निवासीगण ग्राम गजाधर पुरवा थाना कोतवाली देहात जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0- 103/2026 धारा 103(1), 238 बी0एन0एस0 थाना तरबगंजजनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

1. प्र0नि0 कमलाकान्त त्रिपाठी मय हमराह
2. वरि0उ0नि0 श्री अखिलेश यादव
3. हे0का0 नागेन्द्र यादव
4. का० प्रदीप मौर्या
5. का० ऋतुराज सक्सेना
6. कां0 माधवेश तिवारी

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 26.03.2026

थाना को0 देहात पुलिस द्वारा 01 दहेज हत्याभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में थाना को0 देहात पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0- 17/2026 धारा 80(2)/85 बीएनएस व 3/4 डी0पी0 एक्ट से सम्बन्धित 01 आरोपी अभियुक्त - हरिकेश गोस्वामी पुत्र शशि कुमार को ठकुरापुर मोड़ के पास सड़क से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादिनी मिथला देवी पत्नी श्याम मुरारी निवासी लालपुर चन्द्रभान थाना को0 नगर गोण्डा द्वारा थाना को0 देहात में लिखित तहरीर दी गयी कि उन्होने अपनी लड़की की शादी 04 वर्ष पूर्व हरिकेश पुत्र शशी कुमार उर्फ बब्बू निवासी ठकुरापुर (डीहा) से की थी। शादी के कुछ समय बाद से ही उनकी लड़की को उसके पति व ससुरालीजनों द्वारा नगदी, मोटर साईकिल, जेवर , भैंस की मांग को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। दिनांक 12.01.2026 को विपक्षीगण द्वारा दहेज की मांग को लेकर उनकी लड़की की हत्या कर दी गयी। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना को0 देहात में नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 26.03.2026 को थाना को0 देहात पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोपी अभियुक्त - हरिकेश गोस्वामी पुत्र शशि कुमार को ठकुरापुर मोड़ के पास सड़क से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना को0 देहात पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. हरिकेश गोस्वामी पुत्र शशि कुमार उर्फ बब्बू गोस्वामी निवासी ठकुरापुर डीहा थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0- 17/2026 धारा 80(2)/85 बीएनएस व 3/4 डी0पी0 एक्ट थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 उपेन्द्र कुमार सिंह मय हमराह
02. कां0 मनोज कुमार यादव

मीडिया सेल, गोण्डा।